भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2014

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और निर्माण गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

2014 श्री कपिल सिब्बल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2025-26 में तथा वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण तथा मरम्मत हेतु आवंटित तथा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) हाल ही में निर्मित या उन्नयित राष्ट्रीय राजमार्गों पर खराब निर्माण गुणवत्ता, समय-पूर्व क्षरण, गड्ढों तथा दुर्घटनाओं की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के संबंध में स्वतंत्र गुणवत्ता संपरीक्षा तथा सार्वजनिक शिकायत निवारण हेतु क्या तंत्र उपलब्ध है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वित्तीय वर्ष (2025-26) और वित्तीय वर्ष (2026-27) की पहली तिमाही के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवंटित निधि और व्यय का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	**आवंटन (करोड़ रूपये)**	**व्यय (करोड़ रूपये)**
2025-26	12,711	12,678
2026-27 (30.06.2026 तक)	13,000	2,923
+- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित आवंटित निधि		

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के अनुसार, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खराब निर्माण गुणवत्ता, समय से पहले खराब होने, गड्ढों आदि के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (नवनिर्मित/उन्नयित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित) खंडों पर पाई गई प्रमुख कमियों/दोषों/संरचनात्मक विफलताओं/ढहने की घटनाओं का विवरण, साथ ही की गई कार्रवाई, अनुलग्नक में दी गई है।

पिछले कैलेंडर वर्ष और चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान नवनिर्मित/उन्नयित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्ज कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निम्नलिखित है:

2025	**2026(दिनांक 27.07.2026 तक)**
1,43,526*	77,234*
***- इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) डेटा (अनंतिम) के आधार पर**	

(ग) परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान मामले-दर-मामले के आधार पर एनएच कार्यों के स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा के लिए तीसरे पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों को तैनात किया जाता है, जिसमें निर्माण पूरा होने से पहले भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रियायतकर्ता/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप है। ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान कोई कामी पाई जाती है, तो आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए ठेकेदारों/ठेकेदारों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित मुद्दों, जिनमें गुणवत्ता संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं, के बारे में नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक शिकायत पोर्टल और मोबाइल आधारित राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित की है। इसके अलावा, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के लिए, जिनमें निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, सरकार ने एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया है जिसके तहत वेब पोर्टल के माध्यम से इन शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएच परियोजनाओं के लिए अधिकारियों/रियायतकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और निर्माण गुणवत्ता संबंधी मुद्दे के संबंध में श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 05.08.2026 को राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2014 के भाग (ख) के उत्तर उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खराब निर्माण गुणवत्ता, समय से पहले खराब होने, गड्ढों आदि के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (नवनिर्मित/उन्नयित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित) पर रिपोर्ट की गई प्रमुख कमियों/क्षति/विफलताओं/ढहने की घटनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण, साथ ही की गई कार्रवाई का विवरण:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.स.	परियोजना/खंड का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख कमियों / नुकसानों / विफलताओं / ढहने का विवरण	की गई कार्रवाई
गुजरात	1	सांचोर-संतालपुर पैकेज-4	2025 और 2026	हाल ही में हुई बारिश के बाद गड्ढे, दरारें और सतह का विरूपण/क्षति देखी गई, कुछ स्थानों पर बहुत ज्यादा गड्ढे बन गए थे।	ठेकेदार पर 2.8 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार एक वर्ष तक या सफल सुधार तक, जो भी बाद में हो, तक के लिए वंचित करने की सिफारिश की गई है।
कर्नाटक	2	बीआरटी टाइगर रिजर्व की सीमा से बेंगलुरु तक एनएच-948 का खंड	2025	किमी 337+670 से किमी 337+680 तक का 10 मीटर लंबाई का आरई ब्लॉक ढह गया।	आईआईएससी बैंगलोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार रियायतकर्ता ने मरम्मत/बहाली कार्य शुरू कर दिया है
केरल	3	कलामस्सेरी से वल्लारपदम तक एनएच 966ए पर वल्लारपदम में आईसीटीटी के लिए एनएच संपर्कता	2025	पुल संख्या 07 और 08, खंड 7+960 और खंड 9+067 (बीएचएस) पर पाइल फाउंडेशन में खराबी देखी गई।	ठेकेदार पर 30.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
	4	कोडुगल्लूर से एडप्पल्ली एनएच 66	2025	पाइल नींव में क्षति खंड 398+400 और 398+989 (आरएचएस) निम्न स्तर का कार्य (छोटे पुल निर्माण कार्य, आरएस दीवार के लिए भराव सामग्री, सुरक्षा संबंधी अपर्याप्त सावधानियां, गर्डरों की ग्राउटिंग में देरी, बेयरिंग का उभार) और खराब गुणवत्ता (दोषपूर्ण आरई पैनल)	रियायतग्राही को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुधार कार्य ठेकेदार के खर्चे पर किया जाएगा।
	5	एनएच-66 का चेंगला-नीलेश्वरम खंड	2025	16.06.2025 को चै 58+035 से चै. 58+100 (आरएचएस) पर मृदा की ढ़लान ढहने की घटना घटी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ।	ठेकेदार पर 30 लाख का और आईई पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.स.	परियोजना/खंड का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख कमियों / नुकसानों / विफलताओं / ढहने का विवरण	की गई कार्रवाई
	6	एनएच-66 (पुराना एनएच-17) के वलानचेरी बाईपास के आरंभ से कप्पिरिक्कड़ खंड तक, डिजाइन चैनेज 298+500 (एक्स. किमी 304.250) से डिजाइन चैनेज 335+850 (एक्स. किमी 349.260) तक छह लेन का निर्माण।	2025	आरई की दीवार ढह गई	ठेकेदार और आईई को 1 महीने की अवधि के लिए या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, चल रही/भविष्य की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित करना।
	7	थुरवूर-परवूर	2025	निर्माण के दौरान 4 पीएससी गर्डर ढह गए	15.35 लाख का जुर्माना लगाया गया। ब्रिज इंजीनियर और एई टीम लीडर को बर्खास्त कर दिया गया।
	8	रामनट्टुकरा-वलंचेरी	2025	आरई दीवार में दोष	ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर सुधार कार्य शुरू किए गए।
मध्य प्रदेश	9	एनएच-46 का भोपाल-बियोरा खंड	2025	सड़क का समय से पहले खराब हो जाना।	ठेकेदार पर 119 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ठेकेदार के खर्चे पर सुधार कार्य शुरू किया गया है।
	10	एनएच-347बीजी का तेजाजीनगर-बलवाड़ा खंड	2025	सुरंग के बाहरी प्रवेश द्वार पर ढलान सुरक्षा उपाय ध्वस्त हो गया (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त)	रियायतग्राही को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
महाराष्ट्र	11	मौजूदा किमी 88.400 (सावली विहार) से किमी 163.400 (अहमदनगर बाईपास की शुरुआत)	2026	16.05.2026 और 22.06.2026 को क्रमशः चैनेज 111+660 और चैनेज 96+870 (RHS) पर बॉक्स कल्वरट की ऊपरी स्लैब ढह गई।	पुनर्निर्माण का कार्य ईपीसी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।
	12	एनएच 160 पर चैनल 111.660 और 96.870 पर बॉक्स कल्वरट।	2026	बॉक्स कल्वरट की ऊपरी स्लैब ढह गई।	ठेकेदार पर 75 लाख का जुर्माना लगाया गया और एई पर 12.50 लाख रुपये का जुर्माना।
तमिलनाडु	13	सेठियाथोप - चोलपौरम खंड किमी 65.960 से किमी 116.440 तक	2025	ए2 (तंजावुर) की ओर जाने वाले मार्ग (बाईं ओर) के आरई दीवार ब्लॉक का हिस्सा भू-ग्रिड से अलग हो गया है और गिर गया है।	रियायतग्राही द्वारा अपने खर्च पर सुधार कार्य पूरा किया गया। ठेकेदार पर 18.05 लाख का जुर्माना लगाया गया और आईई पर 5 लाख।
उत्तर प्रदेश	14	दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का एनएच-344जी का दूसरा चरण		अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण फुटपाथ का धंस जाना	ठेकेदार द्वारा सुधार किया गया। ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक और सहायक कार्यकारी के टीम लीडर को निलंबित कर दिया गया है।
	15	लखनऊ – कानपुर	2026	कुछ स्थानों पर फुटपाथों का धंसना और बिटुमिनस सतहों का खिसकना	रियायतकर्ता द्वारा अपने खर्च पर मरम्मत कार्य किया गया। स्वतंत्र इंजीनियर के टीम लीडर और रेजिडेंट इंजीनियर तथा रियायतकर्ता के प्रोजेक्ट मैनेजर को 2 साल के लिए

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.स.	परियोजना/खंड का नाम	घटना का वर्ष	प्रमुख कमियों / नुकसानों / विफलताओं / ढहने का विवरण	की गई कार्रवाई
					ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल	16	पल्सिट से डंकुनी (एनएच-6 कनेक्टर तक) राष्ट्रीय गलियारे एनएच-19 का किलोमीटर 588.870 से किलोमीटर 652.700 तक छह लेन का निर्माण।	2026	आरई दीवार का ढहना	टोल सेवा निलंबित कर दी गई है। आईई और रियायतकर्ता के 2 प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
मेघालय	17	एनएच-44 का जोवाई-मेघालय-असम सीमा खंड, किमी 69.200 से किमी 173.200 तक (डिजाइन चै. 171.455)	2025	लगभग 10-15 मीटर की लंबाई में बिटुमिनस कंक्रीट का खिसकना	ठेकेदार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और ठेकेदार ने अपने खर्च पर सुधार कार्य संपन्न कराया।
